न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार मेघवाल, आई.ए.एस.
प्रकरण संख्या :– 37/2019 ई.रे. दिनांक 27.01.2026

1. लालुराम पिता दोला मीणा निवासी पायरों का खेड़ा तहसील बड़ीसादड़ी
2. धनसिंह पिता दोला मीणा निवासी पायरों का खेड़ा तहसील बड़ीसादड़ी

– प्रार्थीगण

बनाम

1. खरता पिता नान मीणा निवासी पायरों का खेड़ा तहसील बड़ीसादड़ी
2. बाबु पिता खरता मीणा निवासी पायरों का खेड़ा तहसील बड़ीसादड़ी

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंर्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थित– श्री एस.के. ओझा वकील प्रार्थीगण

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण की ओर सें प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि –

1. वादीगण/प्रार्थीगण ने एक दावा माननीय न्यायालय में पेश किया है जो आगे चलकर निश्चित रूप से डिक्री होगा ऐसी पुरी सम्भावना है।
2. मौजा पायरों का खेड़ा की आराजी नं. 237 रकबा 10 बिस्वा लगानी 1 रू 25 पैसा है जिसके पडोस इस प्रकार है पूर्व में लिम्बा जी की जमीन जिस पर उसके पुत्र काना का कब्जा है व रास्ता पश्चिम में मौड़ा जी का खेत जमीन जो वर्तमान में लाला चौधरी के पास थी जो उनके पुत्र दिलीप के कब्जे में है उत्तर में जमीन दल्ला भग्गा जी की जमीन जो इस वक्त लाला चौधरी पुत्र दिलीप के कब्जे में है। दक्षिण में जमीन मोड़ा जी अढान जो उनके पुत्र धुला जी के कब्जे में है । इन चारों पडोस के बीच की जमीन पर दोला पिता भैरा जी मीणा का कब्जा चला आ रहा था और उनके मरने के बाद उनके पुत्र प्रार्थीगणों का कब्जा चला आ रहा है। दोला जी मृत्यु लगभग 24 साल पूर्व हो गई है। और दोला जी की समस्त चल अचल सम्पति पर प्रार्थीगण काबिज चले आ रहे है।
3. उक्त विवादित कृषि भूमि पहले नान जी पिता भज्जा जी व खरता पिता नान जी मीणा की थी उन्होंने 65 रू में प्रार्थीगण के पिता दोला जी को संवत् 2016 में विक्रय कर दी थी और उसकी लिखा पढ़ी भी दोला जी की बही में कर दी थी तभी से दोला जी का कब्जा चला आ रहा है दोला जी के मरने के बाद प्रार्थीगणों का कब्जा चला आ रहा है।
4. उक्त कृषि भूमि का वर्तमान में हाल ही में नया सेटलमेन्ट हुआ है और नये सेटलमेन्ट में विवादित कृषि भूमि का नया नम्बर 274 पड़ा है जिसका रकबा 0.1100 है लगानी 1 रू 76 पैसा है। प्रार्थीगणों का इस जमीन पर 2016 से लगातार कब्जा चला आ रहा है। और लगातार कब्जे की वजह से प्रार्थीगण भूमि के एडवर्स पजेशन के कारण खातेदार काश्तकार हो गए है इसलिए प्रार्थीगण इस जमीन को अपनी खातेदारी में दर्ज कराने के अधिकारी है।
5. विपक्षीगण का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है इसी का नाजायज फायदा उठाते हुये विवादित कृषि भूमि को खुर्द बुर्द करना चाहते है प्रार्थीगण का जबरन बेदखल करना चाहते है इसका विपक्षीगण को

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

कोई कानूनी अधिकार नहीं है। प्रार्थीगणों व गांव के मोतबीर व्यक्तियों ने भी विपक्षी गणों को समझाया परन्तु पूर्व के विक्रय पत्र के बावत् वह किसी भी सुरत में मानने को तैयार नहीं है।

6. चूंकि मूल मुकदमें की सुनवाई में वक्त लगेगा तब तक विपक्षीगण प्रार्थी को जबरन बेदखल कर देगें तो प्रार्थीगणों का दावा पेश करना ही बेकार हो जायेगा। इसलिये प्रार्थीगणों का प्रथम दृष्टया प्रकरण है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगणों के पक्ष में है व अपुर्णिय क्षति भी प्रार्थीगणों को होगी। इसलिये प्रार्थीगणों विपक्षीगणों के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराने के अधिकारी है।

अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय कि अन्तरीम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित की जावे कि वे प्रार्थीगण को विवादित कृषि भूमि से जबरन बेदखल नही करें तथा विवादित कृषि भूमि को रहन बय बक्षीश के माध्यम से हस्तान्तरित नहीं करे न करावें।

वकील प्रार्थीगण की बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु विधि के तीन बिन्दुओं को प्रमाणित करना होता है :–

1– प्रथम दृष्टया मामला
2– सुविधा का संतुलन
3– अपूरणीय क्षति

1– <u>प्रथम दृष्टया मामला</u>

पत्रावली पर प्रस्तुत अभिवचनों व दस्तावेजो से यह प्रमाणित होता है कि वाद ग्रस्त आराजीयात पहले नान जी पिता भज्जा जी व खरता पिता नान जी मीणा की थी उन्होंने 65 रू में प्रार्थीगण के पिता दोला जी को संवत् 2016 में विक्रय कर दी थी और उसकी लिखा पढ़ी भी दोला जी की बही में कर दी थी तभी से दोला जी का कब्जा चला आ रहा है दोला जी के मरने के बाद प्रार्थीगणों का कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में ही है। विपक्षीगण का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है इसी का नाजायज फायदा उठाते हुये विवादित कृषि भूमि को खुर्द बुर्द करना चाहते है प्रार्थीगण का जबरन बेदखल करना चाहते है। जिस कारण अप्रार्थीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया आवश्यक है विपक्षी प्रार्थीगण को मौके से बेदखल करने पर आमादा है । इस आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है।

<u>2. सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति :–</u>

चूंकि वाद ग्रस्त आराजीयात पहले नान जी पिता भज्जा जी व खरता पिता नान जी मीणा की थी । उसकी लिखा पढ़ी भी दोला जी की बही में कर दी थी तभी से दोला जी का कब्जा चला आ रहा है दोला जी के मरने के बाद प्रार्थीगणों का कब्जा चला आ रहा है। जिससे प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टिया केश प्रमाणित है । तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है यदि विपक्षी को जरीये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो विपक्षी वादग्रस्त आराजीयात को हस्तान्तरीत करने में सफल हो जावेगें जिससे अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में है अतः सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। तीनो ही तात्विक बिन्दुओं को प्रार्थीगण साबित करने में सफल रहे है।

–:आदेश:–

पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वाद ग्रस्त आराजीयात पहले नान जी पिता भज्जा जी व खरता पिता नान जी मीणा की थी उन्होंने 65 रू में प्रार्थीगण के पिता दोला जी को संवत् 2016 में विक्रय कर दी थी और उसकी लिखा पढ़ी भी दोला जी की बही में कर दी थी तभी से दोला जी का कब्जा चला आ रहा है दोला जी के मरने के बाद प्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है। इसलिये प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में ही है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 212 (प्र.सं. 37/2019) आर.टी.एक्ट. को स्वीकार किया जाता है। पत्रावली की आदेशिका दिनांक 01.10.2019 के अनुसार

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

उभयपक्ष मौजा पायरो का खेड़ा पटवार हल्का बांसी की आराजी नं. 274 रकबा 0.1100 हैक्ट. भूमि की राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखे। इस हेतु उभयपक्ष को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है। पत्रावली को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है ।
यह आदेश आज दिनांक 27.01.2026 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रवीन्द्र कुमार मेघवाल (आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी